| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नाम व तारीख अधिकारी जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|

22/01/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता और राज पैरोकार की बहस सुनी। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा के खसरा नंबर 232/1 आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय-चक भूमि के खसरा नंबर 224 एवं 225 में से नवीन रेकॉर्डेड रास्ता चाहा है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में तकरीबन 2559.2 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक भूमि प्रभावित होगी।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतू उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 224 व 225 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। राजकीय सिवायचक भूमियों में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिए आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नहीं रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट पत्रांक :- राजस्व/2024/1437 दिनांक 27-8-2024 से भी सिद्ध होता है कि प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु इसी खसरा नंबर 224 व 225 की सिवायचक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीय सिवायचक भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नही होती है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने पर खसरा नं. 224 व 225 (सिवायचक भूमि) का रकबा भी कम होगा। अतः राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा के खसरा नंबर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व ता... जो इस हुक... में ज... |
|---|---|---|

224 व 225 से रास्ता दिया जाना न्याय-संगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता है। पंजावली फैसले शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली